I/31932/2024

उल्लंघन पत्र / ईमेल द्वारा

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
कार्यालय क्षेत्रीय खान नियंत्रक, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक: 15.05.2024

सेवा में,

श्री मदन लाल ग्रोवर (मालिक),
कछगवां चूना पत्थर खदान,
सिविल लाइन्स, पोस्ट-कटनी,
जिला-कटनी (म.प्र.)-483501
ईमेल – **ranjan_grover4@yahoo.com**

विषय: मध्य प्रदेश राज्य के कटनी जिले में आपकी कछगवां चूनापत्थर खान (08.30 हेक्टेयर), माइन कोड – 38MPR18041 में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन।

महोदय,

दिनांक 26.04.2024 को इस कार्यालय के सहायक खनन अभियंता, श्री अभिषेक रंजन गौतम द्वारा, श्री मनोज कुमार रॉय, प्रबंधक, श्री राम बिहारी बागरी (खनन अभियंता) एवं श्री अरविन्द ताम्रकार (भूविज्ञानी) की उपस्थिति में किये गये निरीक्षण के दौरान आपकी उपरोक्त खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली (एम सी डी आर), 2017 के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

नियम स.	पाए गए उल्लंघन की विस्तृत प्रकृति
नियम 11 (1)	खनन पट्टे के अंतर्गत खनन परिचालन.- (1) खनन पट्टे का कोई भी धारक भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमोदित, संशोधित या पुनर्विलोकित या राज्य सरकार द्वारा धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुसरण में स्थापित प्रणाली के अनुसार तैयार और अनुमोदित की गई खनन योजना के अतिरिक्त किसी भी क्षेत्र में कोई खनन संक्रिया आरंभ या परिचालित नहीं करेगा। उक्त खदान की खनन योजना का पुनर्विलोकन को इस कार्यालय के पत्रांक- MP/KATNI/LIMESTONE/RMP-25/2022-23 दिनांक 16.08.2022 द्वारा अनुमोदित की गई, जिसमें वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक कार्य करने के प्रस्ताव शामिल हैं। निरीक्षण के दौरान एम सी डी आर 2017 के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया है.. **1. अनुमोदित खनन योजना मे वर्ष 2022-23 में 08 नग बोर होल्स का प्रस्ताव था। जिसमे 04 बोर होल 50-50 मीटर के तथा 04 बोर होल 10-10 मीटर के प्रस्तावित थे परन्तु अन्वेषण का कार्य बिलकुल ही नहीं किया गया।** 2. **खदान में बेंच पैरामीटर का विकास व्यवस्थित तरीके से नहीं किया गया है । खदान में अनुमोदित खनन योजना मे वर्ष 2023-24 में ग्रिड अन्तराल 2652580N-2652630N से 447200E-447325E (पिलर संख्या 8 एवं 9 से लगे हुए क्षेत्र) में उत्पादन एवं विकास कार्य किया गया । किन्तु उत्पादन के पश्चात् बेंच की ऊंचाई अनुमोदित खनन योजना के अनुसार नहीं रखी गयी है| जिससे उस जगह पर ऊँची दीवार खडी हो गयी है | जो की खदान में असुरक्षा प्रदान करता है एवं नियम के अनुसार सही नहीं है |**

I/31932/2024

नियम 31 (4)	योजनाओं और अनुभागों की प्रतियां प्रस्तुत करना.- खनन पट्टा धारक के लिए, हर वर्ष जून के 30वें दिन को या से पहले, प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, और राज्य सरकार को नियम 32 के अंतर्गत अनुरक्षित सतह भूवैज्ञानिक योजनाओं और अनुभागों की एक छपी हुई प्रति के साथ एक आंगुलिक प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। **खान स्थल कार्यालय में योजनाएं और खंडों (Plan & Section) अद्यतन और अनुरक्षित नहीं पाए गए।**

02. इस संबंध में यह आपके ध्यान में लाया जाता है कि उपरोक्त उल्लंघन एम सी डी आर –2017 के नियम 62 के तहत दंडनीय अपराध है।

03. एम सी डी आर –2017 के नियम 11(1) का पालन न करने पर एम सी डी आर –2017 के नियम 11(2) के प्रावधानों के तहत खनन संक्रिया को निलंबित किया जा सकता है।

04. आपको सलाह दी जाती है कि उपरोक्त उल्लंघनों को तुरंत सुधारें और इस पत्र के जारी होने की तारीख से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को स्थिति से अवगत कराएं।

भवदीय,

Signed by Madhavrao Sabre
Date: 17-05-2024 11:04:50
Reason: Approved

(माधवराव साबरे)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

<u>प्रतिलिपि प्रेषित (ईमेल) :</u>

01. संचालक, भौमिकी एवम खनिकर्म, मध्य प्रदेश सरकार, खनिज भवन, 29-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्रवाई हेतु.
02. खान नियंत्रक (मध्यांचल), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर
03. जिलाधीश, जिला - कटनी (म.प्र.) सूचनार्थ ।

(माधवराव साबरे)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो